**भारत सरकार/Government of India**
**रेल मंत्रालय/Ministry of Railways**
**(रेलवे बोर्ड/Railway Board)**

सं.सिक/2021/आईवीजी/प्रिवेन्टिव कैश चेक नई दिल्ली, दिनांक: 27/09/2021

**प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल**
**सभी क्षेत्रीय रेलें, रे.सु.वि.ब., मेट्रो रेल/कोलकाता एवं कोकण रेलवे,**
**सभी उत्पादन इकाइयां, कोर, निर्माण, अअमासं.**
**निदेशक/जगजीवन राम रे.सु.ब. अकादमी, लखनऊ और**
**निदेशक/रे.सु.ब. प्रशिक्षण केंद्र, मौलाअली एवं खड़गपुर।**

**(सुरक्षा परिपत्र सं. 06/2021)**

**विषय: गाड़ी मार्गरक्षण पर दिशानिर्देश।**

*****

रेल सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों का मार्गरक्षण यात्रियों की सुरक्षा के लिए धीरे-धीरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 20.11.2014 के पत्र सं. 2014/सिक(सीसीबी)/ट्रेन एस्कॉर्टिंग (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत पहले से ही विस्तृत अनुदेश जारी किए गए थे।

हाल ही में, आंतरिक सतर्कता संगठन/रेलवे बोर्ड द्वारा की गई रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल द्वारा की जा रही गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों की औचक जांचों के दौरान, यह पता चला था कि रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कांस्टेबल ही गाड़ी मे चलने वाली मार्गरक्षण पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और मार्गरक्षण पार्टी की संरचना में प्रभारी के रूप में कोई अधीनस्थ अधिकारी/हेड कांस्टेबल तैनात नहीं है। यह अधीनस्थ/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रेल सुरक्षा बल मार्गरक्षियों पर पर्यवेक्षण तथा निगरानी की कमी को दर्शाता है। गाड़ियों का मार्गरक्षण एक रूटीन मामला बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए तैनात रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मचारी और उनके पर्यवेक्षी अधिकारी यथा-निर्धारित अपनी ड्यूटियों का निष्पादन नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रीय रेलों में गाड़ी मार्गरक्षण प्रणाली की समीक्षा करने और रेलवे बोर्ड द्वारा पहले से जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन सही मायने में सुनिश्चित करने के लिए गाड़ी मार्गरक्षी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली/निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता है।

मार्गरक्षण को सुव्यवस्थित तथा प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं:

1. जहां तक संभव हो, मार्गरक्षी पार्टियों में एक अधीनस्थ अधिकारी (एसओ) शामिल होना चाहिए। एसओ की अनुपस्थिति में कम-से-कम एक हेड कांस्टेबल को मार्गरक्षी टीम का नेतृत्व करना चाहिए।

2. मार्गरक्षी पार्टी को ड्यूटी अधिकारी द्वारा उस गाड़ी/खंड जहां उन्हें तैनात किया जा रहा है, उस क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों/असामाजिक तत्वों तथा मार्गरक्षण के दौरान क्या करें एवं क्या न करें, के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए।
3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकतम संख्या में गाड़ी मार्गरक्षी पार्टियों का नेतृत्व अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाए, अधीनस्थ अधिकारियों के लिए निम्नलिखित मार्गरक्षण अनुसूची निर्धारित की जाती है:-

## रेल सुरक्षा बल के अधीनस्थ अधिकारियों की मार्गरक्षण अनुसूची

**(क) रेल सुरक्षा बल पोस्टों पर तैनात रेल सुरक्षा बल के अधीनस्थ अधिकारी के लिए:-**

| क्रम सं. | पद | न्यूनतम बारंबारता |
|---|---|---|
| 1. | निरीक्षक (पोस्ट प्रभारी) | पखवाड़े में एक बार |
| 2. | उप-निरीक्षक | सप्ताह में एक बार |
| 3. | सहायक उप-निरीक्षक | सप्ताह में दो बार |

**(ख) रिज़र्व लाइनों/गाड़ी मार्गरक्षण/नकदी मार्गरक्षण कम्पनियों में तैनात रेल सुरक्षा बल के अधीनस्थ अधिकारी के लिए:-**

| क्रम सं. | पद | न्यूनतम बारंबारता |
|---|---|---|
| 1. | निरीक्षक | सप्ताह में एक बार |
| 2. | उप-निरीक्षक | सप्ताह में दो बार |
| 3. | सहायक उप-निरीक्षक | सप्ताह में तीन बार |

**नोट:-** 1. यह सीमा न्यूनतम है, व॰म॰सु॰आ॰/म॰सु॰आ॰ आवश्यकतानुसार इस बारंबारता में वृद्धि कर सकते हैं।

2. तैनात किए गए रेल सुरक्षा विशेष बल कंपनियों के कंपनी कमांडर/उप-निरीक्षक एवं सहायक उप-निरीक्षक द्वारा 3-(ख) में दी गई सीमा का पालन किया जाना चाहिए।

4. गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों की प्रभावशीलता/सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए, मार्ग में (रात्रि 22:00 बजे से 04:00 बजे तक) मार्गरक्षण दल जांच की निम्नलिखित अनुसूची निर्धारित की जाती है।

| क्रम सं. | पद | न्यूनतम बारंबारता |
|---|---|---|
| 1. | व॰म॰सु॰आ॰/म॰सु॰आ॰(आई/सी) | माह में चार बार |
| 2. | सु॰आ॰/मु॰(द्वितीय आई/सी) | माह में चार बार |
| 3. | स॰सु॰आ॰ | सप्ताह में दो बार |
| 4. | निरीक्षक (पोस्ट प्रभारी) | सप्ताह में तीन बार |

5. जहां कहीं भी ड्यूटी अधिकारी तैनात है; को रात्रि में 22:00 बजे से 04:00 बजे के दौरान अपनी तैनाती के स्टेशन से गुजरने वाली अधिकतम मार्गरक्षण पार्टियों से संपर्क साधने का प्रयास करें| उनकी बीट पुस्तकों/कमांड प्रमाण-पत्रों में हस्ताक्षर विनिमय की प्रणाली को साधे गए संपर्क के साक्ष्य के रूप में देखा जाए।

6. अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ऐसी सभी जाँचो की प्रविष्टि पोस्ट की स्टेशन डायरी में और वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत/मासिक डायरी में दर्शायी जानी चाहिए।

7. सभी मार्गक्षण पार्टियों को अपनी मार्गरक्षण ड्यूटी के अंतिम बिंदु पर पहुँचने के पश्चात् अंतिम बिंदु पर अधिकार-क्षेत्र वाले रेल सुरक्षा बल पोस्ट के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा डीब्रीफ किया जाएगा। मार्गरक्षण पार्टी को डीब्रीफ करने के पश्चात् अधीनस्थ अधिकारी पोस्ट के रोजनामचा में अपनी टिप्पणी दर्ज करेगा। यह मार्गरक्षण पार्टी के प्रभारी द्वारा की गई टिप्पणियों के अतिरिक्त होगा। रेल सुरक्षा बल पोस्ट का निरीक्षक प्रभारी ऐसी सभी टिप्पणियों का साप्ताहिक सार व॰म॰सु॰आ॰/म॰सु॰आ॰ को उनके अवलोकन तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेगा।

8. प्र॰मु॰सु॰आ॰ के अपराध सम्मेलनों तथा व॰म॰सु॰आ॰/म॰सु॰आ॰ की मासिक अपराध बैठकों के दौरान मार्गरक्षण जांच की प्रभावशीलता, ऐसी जांचों के दौरान देखी गई कमियों तथा प्रणाली में सुधार पर विचार किया जाए तथा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

9. प्र॰मु॰सु॰आ॰ को उपर्युक्त आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने/जांच करने के लिए भी ऐसी जांचों को अपनी आंतरिक सतर्कता संगठन टीमों की ड्यूटियों के मासिक चार्टर में दर्ज करना चाहिए।

10. प्र॰मु॰सु॰आ॰ अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाली गाड़ी मार्गरक्षण प्रणाली में सुधार करने के लिए, जैसा उपयुक्त समझे, अतिरिक्त उपाय कर सकते है। इसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका स्तर गिरकर निरर्थक/रूटीन कार्रवाई बनकर न रह जाए, एक आवधिक समीक्षा भी की जा सकती है।

इन अनुदेशों के बारे में फील्ड स्टाफ को जानकारी दी जाएगी और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संजय चंदर

**(संजय चंदर)**
**महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल**